

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25082021-229209
SG-DL-E-25082021-229209

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 24, 2021/भाद्र 2, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 147
No. 245]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 24, 2021/BHADRA 2, 1943	[N. C. T. D. No. 147

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग
(मद्य निषेध निदेशालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अगस्त, 2021

फा0 सं0 5(4)/डीओपी/आरआर/2017-18/19-20/463.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा मद्य निषेध निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सहायक मद्य निषेध प्रचार अधिकारी (मीडिया) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (क) इन नियमों को मद्य निषेध निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग में "सहायक मद्य निषेध प्रचार अधिकारी (मीडिया)" के भर्ती नियमावली, 2021 कहा जायेगा।
(ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- अनुप्रयोग :- ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं इत्यादि** :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
5. **अयोग्यता** :— ऐसा कोई भी व्यक्ति,
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।
6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केंद्र सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा सेवा विभाग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
7. **बचाव** :— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	सहायक मद्य निषेध प्रचार अधिकारो (मीडिया)													
2.	पदों की संख्या	:	01 (2021) * परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर है।													
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'ख', सामान्य केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित, अलिपिकीय													
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	6 अभ्युक्ति :स्तर-6 (35,400-1,12,400 /-रुपये)													
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं													
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं													
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	<table><tr><td colspan="2">अनिवार्य :-</td></tr><tr><td>योग्यता : लागू नहीं</td><td>अनुभव: लागू नहीं</td></tr><tr><td colspan="2">वांछनीय</td></tr><tr><td>योग्यता : लागू नहीं</td><td>अनुभव: लागू नहीं</td></tr><tr><td>योग्यता मापदंड टीप</td><td>अनुभव मापदंड टीप</td></tr><tr><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td></tr></table>		अनिवार्य :-		योग्यता : लागू नहीं	अनुभव: लागू नहीं	वांछनीय		योग्यता : लागू नहीं	अनुभव: लागू नहीं	योग्यता मापदंड टीप	अनुभव मापदंड टीप	लागू नहीं	लागू नहीं
अनिवार्य :-																
योग्यता : लागू नहीं	अनुभव: लागू नहीं															
वांछनीय																
योग्यता : लागू नहीं	अनुभव: लागू नहीं															
योग्यता मापदंड टीप	अनुभव मापदंड टीप															
लागू नहीं	लागू नहीं															
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु: लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं													
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	2 वर्ष पदोन्नति पाने वालों के लिए अभ्युक्ति													
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	<table><tr><td>पद्धति</td><td>प्रतिशत</td></tr><tr><td>12. प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित/पदोन्नति</td><td>100%</td></tr></table>		पद्धति	प्रतिशत	12. प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित/पदोन्नति	100%								
पद्धति	प्रतिशत															
12. प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित/पदोन्नति	100%															
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /	:	संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जमा													

	<p>आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है</p>	<p>पदोन्नति):-—</p> <p>केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेशों या स्वायत्त निकायों या सांविधिक निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी :-</p> <p>(क)(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा</p> <p>(ii) पदों में स्तर-5 (29,200-92,300/-रुपये) पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित या मूल संवर्ग अथवा विभाग में समकक्ष;</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले :</p> <p>(अ)(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनसंपर्क/जनसंचार/विज्ञापन में स्नातक; या</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक;</p> <p>तथा</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जन संपर्क/जनसंचार/विज्ञापन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।</p> <p>(ख) मैट्रिक स्तर पर हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।</p> <p>वांछनीय:.....</p> <p>केन्द्र/राज्य सरकार में इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले विभागों अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विषहरण केन्द्र (डीटोक्स सेंटर) अथवा ख्याति प्राप्त मीडिया हाउस से निवारक जागरूकता के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टीप 1 : विभागीय कार्यक्रम आयोजक/सामाजिक कार्यकर्ता (मीडिया) ग्रेड में स्तर -5 (29,200-92,300/-रुपये) पर नियमित आधार पर छह वर्षों की सेवा तथा बाहरी उम्मीदवारों के संबंध में प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव पर भी विचार किया जाएगा और यदि उनका चयन पद पर नियुक्ति हेतु होता है तो वह पदोन्नति के द्वारा भरा पद समझा जाएगा।</p> <p>टीप 2 :प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।</p> <p>टीप : भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।</p>						
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	<table><tr><th>विभागीय पदोन्नति समिति</th><th>विभागीय स्थायीकरण समिति</th></tr><tr><td>1. लागू नहीं 2. लागू नहीं 3. लागू नहीं 4. लागू नहीं 5. लागू नहीं</td><td>1. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष) 2. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र</td></tr></table>	विभागीय पदोन्नति समिति	विभागीय स्थायीकरण समिति	1. लागू नहीं 2. लागू नहीं 3. लागू नहीं 4. लागू नहीं 5. लागू नहीं	1. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष) 2. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
विभागीय पदोन्नति समिति	विभागीय स्थायीकरण समिति							
1. लागू नहीं 2. लागू नहीं 3. लागू नहीं 4. लागू नहीं 5. लागू नहीं	1. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष) 2. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र							

				दिल्ली सरकार (सदस्य) 3. संयुक्त निदेशक, मद्य निषेध, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 4. लागू नहीं (सदस्य) 5. लागू नहीं (सदस्य)	
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	पद को भरने के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।		

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एस0 सी0 वत्स, संयुक्त निदेशक

**DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
(Directorate of Prohibition)**

NOTIFICATION

Delhi, the 24th August, 2021

F. No. 5(4)/DOP/RR/2017-18/19-20/463.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number G.S.R 840 dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Assistant Prohibition Propaganda officer (Media) in the Directorate of Prohibition, Department of Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :-

1. Short title and commencement :- (a) These rules may be called the Directorate of Prohibition, Department of Women and Child Development, “Assistant Prohibition Propaganda officer (Media)” Recruitment Rules, 2021.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Application: These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and Level in the Pay Matrix :- The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc. :- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification :- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post / Non Selection Post	Age Limits for Direct Recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Assistant Prohibition Propaganda Officer (Media)	1(2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Non Ministerial Non-Gazetted Group, B	6 Remark : Level-6 (Rs.35400/- to - Rs.112400/).	Not Applicable	Not Applicable	Essential	
						Qualification : Not Applicable	Experience : Not Applicable
						Desirable	
						Qualification : Not Applicable	Experience : Not Applicable
						Qualification Standard Note	Experience Standard Note
						Not Applicable	Not Applicable

Whether age & educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods		In case of recruitment by Prom/Dep./abs. grades from which prom/dep./abs to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	
(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	
AGE: Not Applicable Edu.Qual: Not Applicable	2 years Remark : for promotees	Method	Percentage	Composite Method (Deputation (ISTC) plus Promotion); Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Autonomous Bodies or Statutory Bodies or Public Sector Undertakings or Universities or Research Institutions: (a) (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level -5 (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience as under: (A)(i) Graduate in Public Relations/ mass communication / advertising from a recognized University. Or (i) Graduate from a recognized University and (ii) Post Graduate diploma in Public Relations / mass communication/advertising from a recognized University. (B) Must have passed Hindi subject at matriculation level. Desirable :- One year experience in the field of preventive awareness in Central/ State Government Departments providing such services or detox centre	<u>Departmental Promotion Committee</u> 1. Not Applicable 2. Not Applicable 3. Not Applicable 4. Not Applicable 5. Not Applicable	<u>Departmental Confirmation Committee</u> 1. Secretary, WCD, GNCTD(Chairman) 2. Director, WCD, GNCTD (Member) 3. Joint Director, WCD, GNCTD(Member) 4. Not Applicable(Member) 5. Not Applicable(Member)	Consultation with UPSC is not necessary for filling up the post
		12.Deputation including Short Term Contract/ Promotion	100%				

				<p>recognized by the Central/State Government or media house of repute.</p> <p>Note 1: The departmental Programme Organizer/ Social Worker (Media) in Level-5 (Rs.29200-92300) with six years regular service in the grade and possessing the educational qualification and experience prescribed for deputationist will also be considered along with outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by Deputation shall not exceed Fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
S. C. VATS, Jt. Director